21|8|2

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी— श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 93 / 2018

वादीगण:— बनाम प्रतिवादीगण :—

वादीगण	प्रतिवादीगण
1 लाबूराम पुत्र भूराराम गोदी पुत्र जीयाराम	1 जीयाराम पुत्र जसाराम
2 मगाराम पुत्र भूराराम	2 तिजा देवी पत्नि केसाराम
3 चौलाराम	3 कालुराम
4 कानाराम पि0 आदाराम	4 गेनाराम पि0 केसाराम
5 हेमाराम	5 मृ0 ताराराम पुत्र भल्लाराम जाति सीरवी, नि0 बगडी के का0मु0
6 गोमाराम पि0 नानगराम	5/1 धीसाराम पुत्र स्व0 ताराराम जाति सीरवी, नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
7 गोजाई पत्नि कुनाराम	6 टीकमराम पुत्र भल्लाराम जाति सीरवी, नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
8 बोराराम	7 सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
9 अमराराम पि0 कुनाराम जातियान सीरवी, नि0 बगडीनगर, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।	

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति:—

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 22/08/2024

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगडी चक द्वितीय में वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 4432, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459 कुल खसरा 16 कुल रकबा 64.4900 है0 की आई हुई स्थित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण की सजरा वंशावली जोराराम (फौत), भुराराम(फौत), हेमाराम, गोमाराम, कानाराम(फौत), चौलाराम, आदाराम (फौत) पि0 नानग 1/4 हिस्सा, लाबुराम गोदी पुत्र जोराराम(फौत), लाबुराम, मगाराम पि0 भुराराम (फौत), गोजाई, बोराराम, अमराराम पि0 कुनाराम (फौत), कानाराम पुत्र आदाराम(फौत), अनुसार है तथा प्रतिवादीगण की सजरा वंशावली पुरखा(फौत), 1/8 हिस्सा, भूजा(फौत) 1/8 हिस्सा पि0 भाना 1/4 हिस्सा जारा(फौत) 1/6 हिस्सा, जसा(फौत) 1/6 हिस्सा, केसा (फौत) 1/6 हिस्सा, पि0 पुरखा(फौत), 1/8 हिस्सा, ताराराम 1/6 हिस्सा, टीकम 1/6 हिस्सा, गिरधारी 1/6 हिस्सा पि0 भला(फौत) 1/8 हिस्सा, वुनकी (लाऔलाद फौत) पि0 जोरा, पानी, जीयाराम पि0 जसा, तीजादेवी, कालुराम, गेनाराम पि0 केसा अनुसार है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण पेमाराम, हेमाराम, गोमाराम, कुनाराम, चौलाराम पि0 नानगराम, लाबुराम मगाराम पि0 भूराराम, कानाराम वल्द आदाराम का 1/4 जो सम्पूर्ण खाते के 1/4 हिस्सेदार है अर्थात सम्पूर्ण खाते में वादीगण का 1/4 हिस्सा कब्जा काश्त का आया हुआ है। उक्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्से में खातेदार वुनकी बेरा जोराराम का 1/6, पानी बाई पत्नि जसाराम, जीयाराम वल्द जसाराम

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

का 1/6 तिजा देवी पत्नि केसाराम, कानुराम, मनाराम पि0 केसाराम का 1/6 गिरधारी पुत्र भलाराम का 1/6 हिस्सा का ताराचंद टीकम के हिस्से में बराबर बराबर मर्ज करने के बाद ताराचंद वल्द भलाराम का 3/12 हिस्सा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा कब्जा काश्त का आया हुआ है। खातेदार तुलसी [illegible] हो चुकी है। धीसाराम, दुर्गाराम पि0 वीरम, मगली देवी पत्नि वीरमराम 1/8 खुमार वल्द लाला 1/8, वेनाराम पुत्र भुराराम, पानी, तिजी पुत्री भुराराम, काना, तिलोक, वाग, भाला पि0 मुणश 1/8 दीपाराम, कोलाराम, धन्नाराम पि0 देवा, [illegible] पि0 जमाराम, मुन्नी गंगा, सामनी पुत्रिया जमाराम 1/8 जो सम्पूर्ण खाते के 1/4 हिस्सेदार है तथा धना वल्द गोकलराम 1/6, वोरा, धीसा पि0 पेरा 1/12 अमा, माला, पुका, पमा पि0 मूला 1/36 धनाराम, मगाराम, जोगाराम, मागीलाल, ललित किशोर पि0 सरूप 1/216, विरदा, रूपा, केसा, भूरा, जसा पि0 किसना 5/216, रूपा पुत्र खुमा 1/6, भुण्डाराम वल्द पीथाराम 1/36 जो सम्पूर्ण खाते के 1/4 हिस्सेदार है, इस पेरा के खातेदारान का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा आया हुआ है। भू–प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर कैम्प पाली ने दिनांक 22.08.1979 को गिरधारी पुत्र भलाराम का नाम मर्ज कर गिरधारी के भाई ताराराम व टीकम के हिस्से में अपना 1/6 हिस्सा बराबर बराबर जोड कर दर्ज किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5, 6 के हिस्से में 3/12–3/12 के स्थान पर 1/4–1/4 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, जिसके बाद लगातार राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा गलत दर्ज होता आ रहा है जबकि सम्वत 2030 के खसरा मिलान में खातेदारान का हिस्सा सही दर्ज किया हुआ है, उसी अनुसार पुनः प्रतिवादी संख्या 05 व 6 का हिस्सा दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है तथा जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 में नामान्तरकरण में प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का संयुक्त 1/4 हिस्सा दर्ज किया हुआ जो सही है। इस प्रकार सरहद मौजा ग्राम बगड़ी वक द्वितीय में वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर **4432, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459** कुल खसरा 16 कुल रकबा 64.4900 है0 प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 का 1/4–1/4 हिस्से के स्थान पर 3/12–3/12 हिस्सा सहित प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 का संयुक्त 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज करवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1, 5 से 7 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.10.2018 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 14.10.2020 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 05 फौत के का0मु0 5/1 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 11.12.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता वादी ने वादी लाबुराम पुत्र भुराराम गोदीपुत्र जोराराम तथा कानाराम पुत्र आदाराम के बयान कलमबद्ध करवाए गए तथा वाद पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजात क्रमशः साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्र प्रदर्श–1 है।, जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 206, की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 है। , खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2046–49 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4 है। खसरा मिलान प्रदर्श–3 है। मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श–5 है। , सहायक भु–अभिलेख अधिकारी की पत्रावली संख्या 996/79 प्रदर्श–6 है। प्रस्तुत गोदनामा प्रदर्श–7 है।, जोराराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 है। लाबुराम की गौदी माता सुवटी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 9, जमाबंदी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

2025 से 2028 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 10 है। खतौनी बदावस्त प्रदर्श 11 है जिसे प्रदर्शित करवाया गया । जिरह प्रतिवादी शून्य रही।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि भू-प्रबंध अधिकारी जोधपुर कैम्प पाली ने दिनांक 22.08.1979 को गिरधारी पुत्र भलाराम का नाम मर्ज कर गिरधारी के भाई ताराराम व टीकम के हिस्से मे अपना 1/6 हिस्सा बराबर बराबर जोड कर दर्ज किया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 5, 6 के हिस्से मे 3/12-3/12 के स्थान पर 1/4-1/4 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, जिसके बाद लगातार राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा गलत दर्ज होता आ रहा है जबकि सम्वत 2030 के खसरा मिलान मे खातेदारान का हिस्सा सही दर्ज किया हुआ है, सरहद मौजा ग्राम बगडी चक द्वितीय में वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 4432, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459 कुल खसरा 16 कुल रकबा 64.4900 है0 प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 का 1/4-1/4 हिस्से के स्थान पर 3/12-3/12 हिस्सा सहित प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 का संयुक्त 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा व्यक्त किया कि दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी अनुतोष प्राप्त करे तो कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों, का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मूल पुरुष नानग जिनका हिस्सा 1/4 वादस्थ भूमि में दर्ज शुदा था मूल पुरुष नानग के विधिक वारिस जोराराम, भूराराम, हेमाराम गोमाराम, कुनाराम, चौलाराम व आदाराम हुये । जिनमें से आदाराम के फौत होने से उनके विधिक वारिसान कानाराम हुए इसी प्रकार कुनाराम के फौत होने से इनके विधिक वारिसान नोजाई, वोराराम, अमराराम हुए, इसी क्रम में हेमाराम के फौत होने से उनके विधिक वारिस भूण्डी मुकनाराम, राजाराम व ढगलाराम हुए एवं भूराराम के फौत होने से मगाराम व लाबुराम हुए। जिसके अनुसार मगाराम पुत्र भूराराम सिरवी का 1/28 हिस्सा लाबुराम पुत्र भूराराम सिरवी का 1/28 हिस्सा, गोमाराम पुत्र नानग सिरवी का 1/28 हिस्सा, चोलाराम पुत्र नानग सिरवी का 1/28 हिस्सा, कानाराम पुत्र आदाराम सिरवी का 1/28 हिस्सा, कुनाराम पुत्र नानगराम सिरवी का 1/28 हिस्सा भूण्डी बाई पुत्री हेमाराम सिरवी 1/112, मुकनाराम पुत्र हेमाराम सिरवी का 1/112 हिस्सा, राजाराम पुत्र हेमाराम सिरवी का 1/112, ढगलाराम पुत्र हेमाराम सिरवी का 1/112 हिस्सा बनता है। जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त इन्द्राज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगडी चक द्वितीय मे वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 4432, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459 कुल खसरा 16 कुल रकबा 64.4900 है0 में मगाराम पुत्र भूराराम सिरवी का 1/28 हिस्सा, लाबुराम पुत्र भूराराम सिरवी का 1/28 हिस्सा, गोमाराम पुत्र नानग सिरवी का 1/28 हिस्सा, चोलाराम पुत्र नानग सिरवी का 1/28 हिस्सा, कानाराम पुत्र आदाराम सिरवी का 1/28 हिस्सा,

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

फुसाराम पुत्र नानमराम सिरवी का 1/28 हिस्सा मूली बाई पुत्री हेमाराम सिरवी 1/112, मुकनाराम पुत्र हेमाराम सिरवी का 1/112 हिस्सा, राजाराम पुत्र हेमाराम सिरवी का 1/112, दगलाराम पुत्र हेमाराम सिरवी का 1/112 हिस्सा दुरूस्त रूप से राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

	वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1	[illegible] पुत्र	1	[illegible]
	[illegible]	2	[illegible] पत्नि केसाराम
2	मगाराम पुत्र भूराराम	3	लाबुराम
3	चोलाराम	4	गेनाराम पि0 केसाराम
4	कानाराम पि0 आदाराम	5	मृ0 ताराराम पुत्र मल्लाराम जाति सीरवी नि0 बगडी के का0मु0
5	हेमाराम		
6	कुनाराम पि0 नानगराम	5/1	धीसाराम पुत्र स्व0 ताराराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
7	[illegible] बाई पत्नि कुनाराम		
8	बोराराम		
9	अमराराम पि0 कुनाराम जातियान सीरवी, नि0 बगडीनगर, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।	6	टीकमराम पुत्र मल्लाराम जाति सीरवी, नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
		7	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

राजस्व वाद संख्या :– 93/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र परिहार पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम बगडी चक द्वितीय में वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 4432, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459 कुल खसरा 16 कुल रकबा 64.4900 है0 में मगाराम पुत्र भूराराम सिरवी का 1/28 हिस्सा, लाबुराम पुत्र भूराराम सिरवी का 1/28 हिस्सा, गोमाराम पुत्र नानग सिरवी का 1/28 हिस्सा, चोलाराम पुत्र नानग सिरवी का 1/28 हिस्सा, कानाराम पुत्र आदाराम सिरवी का 1/28 हिस्सा, कुनाराम पुत्र नानगराम सिरवी का 1/28 हिस्सा भूण्डी बाई पुत्री हेमाराम सिरवी 1/112, मुकनाराम पुत्र हेमाराम सिरवी का 1/112 हिस्सा, राजाराम पुत्र हेमाराम सिरवी का 1/112, ढगलाराम पुत्र हेमाराम सिरवी का 1/112 हिस्सा दुरूस्त रूप से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत –

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करे।

वशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/08/2024 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत सिटी

मुददई	रूपया	न पै	मुददायला	रूपया	न पै
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प तजई सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मुददई	रूपया	न पै.	मुददायला	रूपया	न पै